

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से हों किया जावे जावे न
कि किसी अन्व पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : घूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ २१५

दिनांक: २४/७/१३

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अपेक्ष महाविद्यालय, झीमका, गोहद, भिण्ड (9074720410) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. प्रथम (आ.पा., समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास), अति. वि. - हिन्दी साहित्य, बी.एस.-सी प्रथम (आ.पा. सामाजिक, जन्म विज्ञान, वरस्पति), अति.विषय- भौतिक एवं गणित, बी.कॉम- प्रथम-प्लेन/कम्प्यूटर एलीकेशन, बी.सी.ए. प्रथम पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेन्यम 27(10) के अन्वर्गात निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- | | | |
|--|------------------|--------------|
| 1. डॉ. ए.के. मोहे, प्राचार्य, शा. कन्या महाविद्यालय, शिवपुरी | संयोजक) (संयोजक) | (9827442279) |
| 2. डॉ. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुरातत्व अ.शा., जी.वि.वि., ग्वालियर | | |
| 3. डॉ. संगीता शुक्ला, आचार्य, प्राणिकी अ.शा., जी.वि.वि., ग्वालियर | | |
| 4. डॉ. कै.एस. बाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अ.शा., जी.वि.वि., ग्वालियर | | |
| 5. डॉ. डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता, महावि.वि. परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर | | |

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेन्यम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछिक शैक्षणिक/अशैक्षणि

क स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्ट तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के वद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वाय 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वाय दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्धदण्ड जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिवेन्यम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यवाही अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को बी.ए. / डी.ए. / मानदण्ड महाविद्यालय द्वाय देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्वर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर